6-1-20 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० है। वादी का
वाद डिक्री किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक
से टंकित करवाया जाकर शामिल पत्रावली
किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर
दर्ज नम्बर से कम हो। आदेश खुले
न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
साँभर लेक (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajkumar Kaswa
Date: 2021.09.09 11:49:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजकुमार करवा R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 172/ 2017 दायर तारीख :– 20.12.2017

1. गणपतलाल पुत्र स्व0 धन्नालाल जाति जाट नि0 जाखड़ों की ढाणी आसलपुर तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

वादी

बनाम

1. किशनलाल पुत्र स्व0 धन्नालाल
2. नन्दलाल पुत्र स्व0 धन्नालाल
3. दिनेश पुत्र किशनलाल

समस्त जाट नि0 जाखड़ों की ढाणी आसलपुर तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

प्रतिवादीगण

## वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री सुरेन्द्र कुमार परिहार अधिवक्ता वादी

## निर्णय

निर्णय दिनांक 6-1-2020

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी खं0नं0 1133/2 रकबा 10 बीघा वाकै ग्राम आसलपुर तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है जिसमें वादी का 7/50 हिस्सा है जिस पर वादी काबिज काश्त है तथा 7/50 हिस्सा वादी की खातेदारी में राजस्व रिकोर्ड जमावन्दी में अंकित किया हुआ है। वादी ने उक्त 7/50 हिस्सें को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.12.80 को अपनी स्वअर्जित आय से खरीद किया था तब से वादी ही उक्त आराजीयात में अपने हिस्सें पर काबिज होकर भूमि का उपयोग उपभोग करता आ रहा है। वादी के उक्त हिस्सें की आराजीयात से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है ना ही प्रतिवादीगण का उक्त आराजीयात पर कोई कब्जा काश्त है। प्रतिवादी सं0 1 वादी का भाई लगता है तथा प्रतिवादी सं0 2 व 3 वादी के भतीजें लगते है। जिनकी नियत में फितुर आया हुआ है तथा प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सें की आराजीयात 7/50 हिस्सें पर जबरन कब्जा करके निर्माण करने पर आमादा है। इसी आशय से प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 दिनांक 18.12.17 को दोपहर को जे0सी0बी0 मशीन लगाकर जबरन वादी की आराजीयात में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करते हुये वादी की उक्त आराजीयात में जेसीबी से नीवें खोदना चालू करते हुये निर्माण कार्य करना आरम्भ कर दिया जिस पर वादी ने इस व्यक्तियों को ऐसा करने से मना किया तो प्रतिवादीगण वादी से गाली गलोच करने लग गये तथा वादी को धमकी दी कि वे वादी की उक्त आराजीयात पर जबरन कब्जा करते हुये उसमें निर्माण कार्य पूर्ण करेगे तथा वादी को उसके उक्त हिस्सें की भूमि से बेदखल करेगे इसलिए वादी को अपने हक व अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ है।
2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादी गणपतलाल के शपथ पत्र पेश कर बयान लेखबद्व करवाये गये।
3. वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी संवत् 2071–74, फोटो प्रति दस्तावेज विक्रय पत्र पेश की है।
4. वकील वादी ने अपने बहस में कथन किया कि आराजी खं0नं0 1133/2 रकबा 10 बीघा वाकै ग्राम आसलपुर तह0 फुलेरा जिला जयपुर में स्थित है जिसमें वादी का 7/50 हिस्सा है जिस पर वादी काबिज काश्त है तथा उक्त आराजी में वादी का 7/50 हिस्सा जरिये विक्रय पत्र 1980 का खरीदशुदा है। प्रतिवादीगण वादी के भाई व सहखातेदार है।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkumar Kaswa
Date: 2021.09.09 11:49:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

5. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों एवं बहस उभय पक्ष पर अवलोकन/मनन किया गया। वादी ने अपने वाद के समर्थन में जमाबन्दी संवत् 2071–74 पेश की, जो कि प्रदर्श पी0 2 है मुताबिक जमाबन्दी खाता सं0 93/84 वादी वादभूमि खं0नं0 1133/2 रकबा 10 बीघा ग्राम आसलपुर तह0 फुलेरा 7/50 हिस्सा का रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है उक्त खाता सं0 93/84 में अन्य कई काश्तकार वादी के सहखातेदार है, जिन्हें वादी ने वाद में पक्षकार नहीं बनाया है। मुताबिक जमाबन्दी प्रतिवादीगण वादभूमि के रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार नहीं है, वादभूमि के लिए प्रतिवादीगण अजनबी व्यक्ति है। किसी भी रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार के अपने हक हिस्सा तक अपनी कब्जा काश्त के उपयोग उपभोग का अधिकार होता है किसी भी अजनबी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह बिना विधिक प्रकिया व कानूनी अधिकार के किसी खातेदार कातश्कार की कब्जा काश्त में दखलन्दाजी करे।

वादी अपने सहखातेदारों के साथ वादभूमि के प्रत्येक इंच पर समान अधिकार है व वादी ने अपने सहखातेदारों को न तो पक्षकार बनाया है न ही उनके विरूद्व कोई अनुतोष चाहा हौ। वादी अजनबी प्रतिवादीगण के विरूद्व निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है।

अतः वाद वादी साबित होने पर डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण स्वंय या अन्य व्यक्तियों के मार्फत वादभूमि खं0नं0 1133/2 रकबा 10 बीघा ग्राम आसलपुर तह0 फुलेरा में वादी के 7/50 हिस्सा में कब्जा काश्त में दखलन्दाजी न करे, वादभूमि में कोई कच्चा–पक्का, अस्थाई स्थाई निर्माण करे, वादी को वादभूमि से बेदखल न करे। उक्त निर्णय/डिक्री किसी भी न्यायालय में जैरकार या दायर होने वाले किसी वाद/प्रार्थना पत्र/निगरानी या अन्य कानूनी कार्यवाही के सम्बन्ध में लागू व प्रभावी नहीं होगा।

मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तह0 फुलेरा को आदेश प्रदान किये जाते है। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 6-1-20 को मजमा–ए–आम में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajkumar Kaswa
Date: 2021.09.09 11:49:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

# डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक

बइजलास :– राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

1. गणपतलाल पुत्र स्व0 धन्नालाल जाति जाट नि0 जाखड़ों की ढाणी आसलपुर तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

वादी

बनाम

1. किशनलाल पुत्र स्व0 धन्नालाल
2. नन्दलाल पुत्र स्व0 धन्नालाल
3. दिनेश पुत्र किशनलाल

समस्त जाट नि0 जाखड़ों की ढाणी आसलपुर तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

प्रतिवादीगण

## वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

**वाद सं0 173/17**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री सुरेन्द्र कुमार परिहार व हाजरी.....मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी साबित होने पर डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण स्वंय या अन्य व्यक्तियों के मार्फत वादभूमि खं0नं0 1133/2 रकबा 10 बीघा ग्राम आसलपुर तह0 फुलेरा में वादी के 7/50 हिस्सा में कब्जा काश्त में दखलन्दाजी न करे, वादभूमि में कोई कच्चा–पक्का, अस्थाई स्थाई निर्माण करे, वादी को वादभूमि से बेदखल न करे। उक्त निर्णय/डिक्री किसी भी न्यायालय में जैरकार या दायर होने वाले किसी वाद/प्रार्थना पत्र/निगरानी या अन्य कानूनी कार्यवाही के सम्बन्ध में लागू व प्रभावी नहीं होगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06 माह 01 सन् 2020 को जारी की गई।

दस्तखत.....

उपखण्ड अधिकारी
साँभर लेक (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajkumar Kaswa
Date: 2021.09.09 11:49:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner